रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शुक्रवार, 21 मई, 1976
वैशाख 31, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2383/17 वि0-1-84-76

लखनऊ, 21 मई, 1976

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 19 मई, 1976 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1976 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1975)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) अधिनियम, 1974 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1974 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य-संचालन) अधिनियम, 1974 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में —

(क) उपधारा (1) में, शब्द "का अध्यक्ष, राज्यपाल के पूर्वानुमोदन से" निकाल दिये जायेंगे;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "आयोग" रख दिया जायगा।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द "आयोग के आदेश तथा निर्णय ऐसी रीति से और ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे राज्यपाल, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करें, प्रमाणित किये जायेंगे" के स्थान पर शब्द "आयोग के आदेश, निर्णय, संस्तुति और परामर्श को आयोग का सचिव, या आयोग का ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे, यथास्थिति, अपने हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत, संसूचित या प्रकाशित करेगा" रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

अपवाद

4--(1) इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम के संशोधित किये जाने पर भी, मूल अधिनियम के, जैसा कि वह इस अधिनियम द्वारा संशोधन के ठीक पूर्व था, और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या उसकी ओर से सभी कार्य, आदेश, निर्णय, संस्तुति, जिसमें कोई साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगी परीक्षा का संचालन, या किसी परीक्षाफल की घोषणा भी सम्मिलित है, विधिमान्य और सदैव विधिमान्य समझी जायगी, और किसी साक्षात्कार, चयन या प्रतियोगी परीक्षा के सम्बन्ध में किसी अग्रतर कार्यवाही को, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार उस प्रक्रम से पूर्ववत् जारी रखा जा सकता है जिस पर वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व था।

(2) इस धारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि इससे आयोग के अध्यक्ष द्वारा आयोग की बैठक बुलाने या उसकी अध्यक्षता करने की शक्ति या उन्हें किन्हीं विनियमों द्वारा प्रदत्त या उनमें अन्यथा निहित किसी प्रशासकीय शक्ति पर कोई प्रभाव पड़ता है।

No. 2383(2)/XVII-V-1—84-76

Dated Lucknow, May 21, 1976

In pursuance of the Provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Lok Sewa Ayog (Prakriya Ka Viniyaman Tatha Karya Sanchalan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 1976), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 19, 1976:

THE UTTAR PRADESH STATE PUBLIC SERVICE COMMISSION (REGULATION OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) (AMENDMENT) ACT, 1976

(U. P. Act no. 25 of 1976)

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure and Conduct of Business) Act, 1974.

It is hereby enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure and Conduct of Business) (Uttar Pradesh Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 26 of 1974.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh State Public Service Commission (Regulation of Procedure and Conduct of Business) Act, 1974, hereinafter referred to as the principal Act—

(*a*) In sub-section (1), the words "Chairman of the" and the words "with the previous approval of the Governor" shall be *omitted;*

(*b*) in sub-section (3), *for* the word "Chairman" the word "Commission" shall be *substituted.*

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, *for* the words "orders and decisions of the Commission shall be authenticated in such manner and by such persons as the Governor may by notification in the official *Gazette* specify", the words "Orders, decisions, recommendation and the advice of the Commission shall be authenticated, communicated or published, as the case may be, by the Secretary of the Commission, or by such other officer of the Commission as the Commission may by general or special order direct, over his signatures", shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted.*

4. (1) Notwithstanding the amendment of the principal Act by this Act, all acts, orders, decisions, recommendations, including the conduct of any interviews, selection or competitive examination, or the declaration of any results thereof, by or on behalf of the State Public Service Commission in accordance with the principal Act as it stood immediately before its amendment by this Act, and the rules framed thereunder, shall be deemed to be and always to have been valid, and any further proceedings in relation to any interviews, selection or competitive examination may be continued, in accordance with the rules that may be framed by the Commission under the principal Act as amended by this Act, from the stage at which they stood immediately before the commencement of this Act. Savings.

(2) Nothing in this Act shall be construed to affect the power of the Chairman of the Commission to convene or preside over the meetings of the Commission or any administrative power conferred on him by any regulations or otherwise vested in him.

आज्ञा से,
कैलाश नाथ गोयल,
सचिव।

पी०एस०यू०पी०—ए० पी० 84 सा० (विधा०)—1976—650 (मे०)।